न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर

फर्द अहकाम

प्रहलाद यादव बनाम गोपाल लाल

अवमानना प्रा0 पत्र संख्या :–01 /2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
06.01.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रा. पत्र न्यायालय हाजा में विचाराधीन अपील संख्या 28/20 बउनवानी सुमित्रा बनाम जमना में पारित स्थगन आदेश 11.08.2020 पर पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त अपील संख्या 28/20 में दिनांक 26.08.2020 को प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया गया। पत्रावली आदिनांक तक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के जवाब/बहस हेतु नियत है एवं प्रा0 पत्र आदेश 1 नियम 10 पर न्यायालय हाजा द्वारा आदेश पारित नहीं किया गया है। अपील में पारित स्थगन आदेश दिनांक 11.08.2020 माननीय राजस्व मण्डल राज. द्वारा निगरानी आवडदान बनाम सुमित्रा में पारित आदेश दिनांक 26.10.2020 द्वारा खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी अपील में पक्षकार नहीं है तथा अपील संख्या 28/20 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 11.08.2020 के विरूद्व ही प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अवमानना प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 26.10.2020 को खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (इकबाल खान) अति. जिला कलक्टर–प्रथम कलेक्टरेट, जयपुर	

Scanned with CamScanner